[*First published in Rajasthan Gazette, Extraordinary, Part IV A, dated 30-4-68.*]

LAW (A) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, April 30, 1968

No. F. 7(16)-*L*/68.—The following Act of the Rajasthan State Legislature received the assent of the Governor on the 25th day of April, 1968, and is published for general information:—

THE RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY (OFFICERS AND MEMBERS EMOLUMENTS) (AMENDMENT) ACT, 1968.

(Act No. 11 of 1968)

[*Received the assent of the Governor on the 25th day of April*, 1968.]

An

Act

further to amend the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) Act, 1956

Price : 0.16 P.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Nineteenth Year of the Republic of India as follows :—

1. *Short title and commencement.*—(1) This Act may be called the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) (Amendment) Act, 1968.

(2) It shall be deemed to have come into force on the First day of March, 1967.

2. *Amendment of Section 4, Rajasthan Act 6 of 1957.*—In Section 4 of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) Act, 1956 (Rajasthan Act 6 of 1957) :—

(*i*) for the expression "with effect from the date on which he makes and subscribes the oath or affirmation of his office under article 188 of the Constitution until he ceases to be such member" the expression "with effect from the date on which the declaration of the result of his election to the Rajasthan Legislative Assembly is published in the Official Gazette under section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (Central Act 43 of 1951) until he ceases to be such member" shall be substituted.

(*ii*) before the existing first proviso, the following shall be inserted :—

"Provided that no member shall claim such salary unless he makes and subscribes the oath or affirmation of his office under article 188 of the Constitution:";

(*iii*) in the existing first proviso for the words, "provided that" the words "provided further that" shall be substituted; and

(*iv*) The existing second proviso shall be omitted.

अनोप सिंह,
Secretary to the Government.

विधि (क) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 30, 1968

संख्या एफ. 7 (16) एल./68.--राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 47 सन् 1956) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में दी राजस्थान लेजिस्लेटिव एसेम्बली (आफिसर्स एण्ड मेम्बर्स एमोलुमेण्ट्स) (अमेण्डमेण्ट) एक्ट, 1968 (एक्ट नं. 11 आफ 1968) का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) अधिनियम, 1968

(अधिनियम सं. 11 सन् 1968)

[राज्यपाल की अनुमति दिनांक 25 अप्रेल, 1968 को प्राप्त हुई]

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने हेतु अधिनियम।

राजस्थान राज्य विधान मण्डल द्वारा भारत गणराज्य के उन्नीसवें वर्ष में निम्नरूपेण अधिनियमित किया जाता है :--

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भः--(1) यह अधिनियम राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) अधिनियम, 1968 कहा जा सकेगा।

(2) यह दिनांक 1 मार्च, 1967 से प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

2. राजस्थान अधिनियम 6 सन् 1957 की धारा 4 का संशोधन :--राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों के परिलाभ) अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 6 सन् 1957) की धारा 4 में :--

(1) अभिव्यक्ति "उस दिनांक से, जिसको वह संविधान के अनुच्छेद 188 के अधीन अपने पद की शपथ ले अथवा प्रतिज्ञान करे, उक्त सदस्य रहने तक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उस तारीख से जिसको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (केन्द्रीय अधिनियम 43 सन् 1951) की धारा 67 के अधीन उसके राजस्थान विधान सभा के लिये निर्वाचित होने के परिणाम की घोषणा शासकीय राज-पत्र में प्रकाशित की जाय, उक्त सदस्य रहने तक" प्रतिस्थापित की जायगी ;

(2) विद्यमान प्रथम परन्तुक के पूर्व निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा:-

"परन्तु यह कि कोई सदस्य जब तक कि वह संविधान के अनुच्छेद 188 के अधीन अपने पद की शपथ न ले तथा उसका प्रतिज्ञान न करे, उक्त वेतन का दावा नहीं करेगा;

(3) विद्यमान प्रथम परन्तुक में शब्द "परन्तु" के स्थान पर शब्द "परन्तु यह और कि" प्रतिस्थापित किये जायेंगे; तथा

(4) विद्यमान द्वितीय परन्तुक लोपित किया जायेगा।

अनोप सिंह,
शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।